

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-33/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मुश्ताक आलम सिद्धीकी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली के प्रभार रहित अवधि दिनांक-16.09.2020 से 01.02.2024 तक के अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

1.	दिनांक-16.09.2020 से 24.08.2023 तक (कुल-1073 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्राक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)।
2.	दिनांक-25.08.2023 से 01.02.2024 तक	-	कुल-161 दिन)
i	दिनांक-25.08.2023 से 27.08.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।
ii	दिनांक-28.08.2023 से 12.09.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
iii	दिनांक-13.09.2023 से 31.01.2024 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।
iv	दिनांक-01.02.2024 को	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-33/2026- 2061/2/स्वा०, पटना, दिनांक 21/8/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल प्रथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर /अधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/डा० मुश्ताक आलम सिद्धीकी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Wamank 21/8/26
सरकार के उप सचिव।
A